IInd

842628
7.7.15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(50)ग्रावि/अभि./मो.लक्ष्य/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :–आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं लिये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्र दिनांक 22.01.2015 के क्रम में लेख है कि 2015–16 हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची में शेष रहे परिवारों के अनुसार वर्गवार अंतरिम लक्ष्य आवंटित किये गये थे। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर दिनांक 31.03.2015 तक पात्र परिवारों का आवाससॉफ्ट में पंजीयन करवाने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि इसके उपरान्त दिनांक 24.06.2015 को आयोजित वीसी में दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक लक्ष्यानुसार पंजीयन करवाने के निर्देश दिये गये। आवाससॉफ्ट में प्रदर्शित प्रगति अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पंजीयन अभी भी बकाया चल रहे है।

वर्ष 2015–16 से पूर्व के वर्षों के स्वीकृत आवासों में से वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 के स्वीकृत आवासों को दिनांक 30 जून, 2015 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश के बावजूद भी प्रदेश में वर्ष 2011–12 के 63109 आवास, वर्ष 2012–13 के 119560, वर्ष 2013–14 के 189734 आवास निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के 96769 आवास स्वीकृत है।

इन्दिरा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश जून, 2013 के अनुच्छेद 3.6 में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण व उनकी सेवाए हेतु मानदेय का प्रावधान है जिसका भुगतान योजना की प्रशासनिक लागत में से देय है। जिला स्तर पर इस मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन जैसे पूर्व के वर्षों के आवासों को पूर्ण कराने, तृतीय पक्ष निरीक्षण, नंये पंजीयन व अन्य कार्यो हेतु विभिन्न योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु कार्यरत ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ग्राम संसाधन व्यक्ति, साक्षरता योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय प्रेरकों व राजीविका मिशन के अधीन बने हुए स्वंय सहायता समूह की सेवाएं मानदेय के आधार पर आवश्यकतानुसार लेकर योजना के तहत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराया जावें।

1.7.15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

6/7/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, मो. एवं मू., को बेव–साईट पर अपलोड कराने के लिए।

6/7

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि